DHE
09 JUL 2020
Branch +9

(Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-B-B(16)-11/2019 dated 08-07-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Higher Education Department

File No. EDN-B-B(16)-11/2019 Dated: Shimla-2 08-07-,2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following Rules, further to amend the Himachal Pradesh, Higher Education Department, Post Graduate Teacher Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010 notified vide Notification No. EDN-A-Kha(3)-3/98- Part-II dated 20.09.2010, namely:-

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Higher Education Department, Lecturer (School-New), Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (Amendment) Rules, 2020

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

Amendment of Annexure A

2. In Annexure-A to the Himachal Pradesh, Higher Education Department, Lecturer (School-New), Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010.-

(a) for the existing provisions against Col. No. 6, the following shall be substituted, namely:-

"Between 18 to 45 years.",

(b) for the existing provisions against Col. No. 7, the following shall be substituted, namely:-

(a) Essential qualifications.-

1. Academic qualification.-

(i) Master's Degree in the subject concerned from a recognized University (with minimum of 50% marks in aggregate) in the following subjects, namely:-

(a) Lecturer (School-New) (English): English.

(b) Lecturer (School-New) (Hindi): Hindi.

(c) Lecturer (School-New) (Sanskrit): (Sanskrit).

(d) Lecturer (School-New) (Mathematics): (Mathematics / Applied Mathematics).

(e) Lecturer (School-New) (Physics): Physics / Electronics / Nuclear physics.

(f) Lecturer (School-New) (Chemistry): Chemistry / Biochemistry.

(g) Lecturer (School-New) (Biology): Botany/ Zoology/ Life Sciences/ Microbiology/Bio-Technology/Molecular Biology/ Plant Physiology: Provided that they have studied Botany and Zoology at Graduation level.

(h) Lecturer (School-New) (Home Science): Home Science.

(i) Lecturer (School-New) (Sociology): Sociology.

(j) Lecturer (School-New) (Music) Instrumental/Vocal: Music/Instrumental/Vocal.

(c) for the existing provisions against Col. No. 10, the following shall be substituted, namely:-

(i) 50% by promotion failing which by direct recruitment on regular basis or contract basis, as the case may be.

(ii) 50% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

By Order,

Rajeev Sharma, IAS
Secretary (Education) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No.EDN-B-B(16)-11/2019 Dated: Shimla-2 08-07-2020.

Copy forwarded to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law)(O) to the Govt. of Himachal Pradesh.
3. The Joint LR-cum-Addl. Joint Secretary (OL) to the Government of Himachal Pradesh.
4. The Secretary H.P. Public Service Commission Shimla-2.
5. The Director of Higher Education, H.P., Shimla-1
6. The Controller, Printing & Stationery Department Himachal Pradesh Shimla for publishing in the Extra-Ordinary Rajpatra e Gazzete, Himachal Pradesh.
7. Guard file.

Deputy Secretary (Hr. Edu) to the
Government of Himachal Pradesh

DHE ....
09 JUL 2020
Branch +9

हिमाचल प्रदेश सरकार
उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

नस्ति संख्याः– ई.डी.एन.–ख–ख (16)–11/2019 शिमला–2, तारीख 08-07-,2020

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से अधिसूचना संख्याः ई.डी.एन.–क–ख (3)–3/1998–पार्ट–।। तारीख 20–09–2010 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, स्नातकोत्तर अध्यापक, वर्ग–।।। (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :–

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था), वर्ग–।।। (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2020 है।

2 ये नियम राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2.उपाबन्ध–"क" का संशोधन .– हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था), वर्ग–।।। (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 के उपाबन्ध–"क" में;–

(क) स्तम्भ संख्याः 6 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात : –

" 18 से 45 वर्ष "

(ख) स्तम्भ संख्याः 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात : –

(क) अनिवार्य अर्हताएं .–

1. शैक्षणिक अर्हताएं.–

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत, निम्नलिखित विषयों में अर्थात :–

(क) प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) (अंग्रेजी) : अंग्रेजी ।

(ख) प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) (हिन्दी) : हिन्दी ।

(ग) प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) (संस्कृत) : संस्कृत ।

(घ) प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) (गणित) : (गणित / एप्लाईड गणित) ।

(ङ) प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) (भौतिक शास्त्र): भैातिकी / इलैक्ट्रोनिक्स / न्यूक्लियर भौतिकी ।

(च) प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) (रसायन विज्ञान): रसायन विज्ञान / जीव विज्ञान ।

(छ) प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) (जीव विज्ञान): वनस्पति विज्ञान / प्राणी विज्ञान / जीवन विज्ञान / माईक्रोबायोलॉजी / बायोटैक्नालॉजी / मौलेक्यूलर– बायोलॉजी / प्लांट– फिजियोलॉजी:

परन्तु स्नातक स्तर पर उन्होने वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो।

(ज) प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) (गृह विज्ञान): गृह विज्ञान ।

(झ) प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) (समाज शास्त्र): समाज शास्त्र।

(ञ) प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) (संगीत)(संगीत) / वाद्य / स्वरः संगीत / वाद्य / स्वर ।

(ट) प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) (इतिहास): इतिहास ।

(ठ) प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) (भूगोल): भूगोल ।

(ड) प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) (वाणिज्य): वाणिज्य और लेखा शास्त्र / वित्तीय लेखा और आयकर अध्ययन के एक मुख्य विषय के तौर पर एम0 एफ0 सी0 (वित्तीय एवं नियन्त्रण में स्नातकोत्तर) की उपाधि धारक भी वाणिज्य विषय में प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) के पद के लिए पात्र होगा ।

(ढ) प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) (अर्थशास्त्र): अर्थशास्त्र / एल्लाईड अर्थशास्त्र / बिजनैस अर्थशास्त्र ।

(ण) प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) (राजनीति शास्त्र): राजनीति शास्त्र।

(त) प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) (कम्पयूटर विज्ञान): कम्पयूटर विज्ञान ।

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्पयूटर विज्ञान / सूचना प्रोद्यौगिकी में बी. ई या बी. टैक।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से (किसी भी विद्या शाखा) में बी. ई या बी. टैक और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्पयूटर विज्ञान / टैक्नोलाजी / एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से (कम्पयूटर विज्ञान) / विज्ञान निष्णात / एम.सी.ए.।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित / भौतिकी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्पयूटर विज्ञान / एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

या

डोएक सोसाईटी, सूचना और संचार तकनीक मन्त्रालय से "बी" या "सी" स्तर का कोर्स ।

(ख) हिमाचल के विद्यालयों में कम्पयूटर अध्यापन के रूप में पांच वर्ष या इससे अधिक का अध्यायन का अनुभव ।

2. (क) व्यावसायिक अर्हता :–

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से व्यावसायिक अर्हता के रूप में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ शिक्षा स्नातक (बी0 एड0)।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दो वर्ष का एकीकृत एम0एस0सी0 एड0 कोर्स।

(ii) प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) (कम्पयूटर विज्ञान) को बी0एड0 में छूट होगी।

(ख) वाणिज्य स्नातकोत्तर (एम0 काम0) अभियर्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा वाणिज्य स्नातक / वाणिज्य स्नातकोत्तर अभियर्थियों के लिए बी0एड0 कोर्स अनुज्ञात करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान तक बी0एड0 की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी :–

टिप्पण.–

(i) जीव विज्ञान विषय में प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) की दशा में अभ्यर्थी द्वारा वनस्पति विज्ञान / प्राणी विज्ञान / जीवन विज्ञान / माईको बायोलॉजी / जैव तकनीकी / मौलेक्यूलर बायालॉजी / प्लांट फिजियोलॉजी में एम0एस0सी0 की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की होनी चाहिए :

परन्तु उन्होने स्नातक स्तर तक वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो ।

(ii) वाणिज्य विषय में प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) की दशा में अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातकोत्तर उतीर्ण होना चाहिए ।

(iii) लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि वाले अभ्यर्थी राजनीति विज्ञान विषय में प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) के पद हेतु भी पात्र होंगे ।

(iv) विज्ञान विषयों अर्थात भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की दशा में अभियर्थियों ने विज्ञान विष्णात (एम0एस0सी0) की उपाधि नियमित अभ्यर्थी के रूप में प्राप्त की हो । तथापि, वे अभ्यर्थी भी जिन्होंने उक्त विषयों में 06–04–2010 से पूर्व दूरवर्त्ती शिक्षा पद्वत्ति के माध्यम से एम0एस0सी0 की उपाधि प्राप्त कर ली है या विज्ञान निष्णात

(12)

(एम0एस0सी0) में प्रवेश लिया हो, प्रवक्ता (विद्यालय– नई व्यवस्था) के पद के लिए पात्र होंगे;

(ग) स्तम्भ संख्याः दस के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात :–

(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति नियमित आधार पर या संविधा आधार पर भर्ती द्वारा।

(ii) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविधा आधार पर भर्ती द्वारा।

आदेश द्वारा,

राजीव शर्मा, भा.प्र.से.
सचिव (शिक्षा)
हिमाचल प्रदश सरकार

पृष्ठांकन संख्या यथोपरि तारीख शिमला'–2, 08-07-2020

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित है :–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 ।
2. अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) (परामर्श), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला –2 ।
3. संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि) (राजभाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला –2 ।
4. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–2 ।
5. निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001
6. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 को हिमाचल प्रदेश सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु ।
7. रक्षक नरित ।

(Sd/- 4/07/2020)
उप सचिव (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।